भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 196**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**भारत में कुपोषित बच्चे**

**\*196. श्री बैष्णव परिडाः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की संख्या भारत में है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कुपोषण में कमी करने के लिए वर्तमान कार्य योजना क्या है; और

(ग) इस संबंध में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी नेटवर्क को कितना सुदृढ़ किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

1. से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*

**''भारत में कुपोषित बच्चे'' विषय पर श्री बैष्णव परिडा द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 196 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) : संयुक्‍त राष्‍ट्र अंतर्राष्‍ट्रीय बाल आपदा कोष (यूनीसेफ) द्वारा प्रकाशित ''विश्‍व के बच्‍चों की स्‍थिति 2015'' रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्‍पवज़नी अविकसित और कृशकाय बच्‍चों का स्‍तर क्रमश: 44%, 48% और 20% है । हालांकि यह रिपोर्ट स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण-।।। के 2005-06 के आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, संयुक्‍त राष्‍ट्र अंतरराष्‍ट्रीय बाल आपदा कोष (यूनीसेफ) के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 में कराए गए बालकों का अभिनव त्‍वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी) में ये आंकड़े क्रमश: 29.4%, 38.7% एवं 15.1% हैं ।

 इस तरह आरएसओसी आंकड़ों की दृष्‍टि से भारत में कुपोषण की व्‍याप्‍तता विश्‍व में सबसे अधिक नहीं है ।

(ख) और (ग) : सरकार कुपोषण के मुद्दे को उच्‍च वरीयता देती है और कुपोषण से संबंधित एक अथवा अन्‍य पहलुओं का समाधान करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्‍कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्‍वयन कर रही है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवा(आईसीडीएस) स्‍कीम, एक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम चला रहा है । स्‍कीम का उद्देश्‍य 6 सेवाओं का एक पैकेज जिसमें (i) पूरक पोषण; (ii) स्‍कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा (iii) पोषण एवं स्‍वास्‍थ्‍य शिक्षा; (iv) प्रतिरक्षण; (v) स्‍वास्‍थ्‍य जांच और (vi) रैफरल सेवाएं शामिल हैं, प्रदान करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों और गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का समग्र विकास करना है ।

स्‍कीम राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से क्रियान्‍वित की जाती है । भारत सरकार नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करती है और स्‍कीम के कार्यान्‍वयन हेतु निर्धारित लागत भागीदारी अनुपात में राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को राशि निर्मुक्‍त करती है ।

 वर्ष 1975 में शुरू की गई आईसीडीएस स्‍कीम का वर्ष 2008-09 में सर्वसुलभीकरण किया गया था जिससे पहले वर्ष 2005-06 से 2008-09 के बीच स्‍कीम का तेजी से विस्‍तार किया गया था, ताकि 7076 आईसीडीएस परियोजनाओं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के अनुमोदन से देशभर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्‍पसंख्‍यक जनसंख्‍या सहित सभी बस्‍तियों को शामिल किया जा सके । 31.12.2015 तक की स्‍थिति के अनुसार 7076 संस्‍वीकृत परियोजनाओं और 14 लाख संस्‍वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में 7067 परियोजनाएं एवं 13.49 लाख आंगनवाड़ी केंद्र प्रचालन में हैं । इस समय 10.23 करोड़ लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें 8.37 करोड़ लाभार्थी 6 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे और 1.93 करोड़ लाभार्थी गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताएं हैं । 3-6 वर्ष के 3.4 करोड़ बच्‍चों को (1.78 करोड़ लड़के और 1.75 लड़कियां) स्‍कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है ।

 आईसीडीएस के निष्‍पादन में सुधार करने के उद्देश्‍य से सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्‍थिति की निगरानी करने के लिए जन प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्‍न स्‍तरों पर (राष्‍ट्रीय/राज्‍य/जिला/ब्‍लॉक/ आंगनवाड़ी) पांच स्‍तरीय निगरानी एवं समीक्षा तंत्र शुरू किया है ।

विभिन्‍न कार्यक्रमागत, प्रबंधनात्‍मक एवं संस्‍थागत कमियों को दूर करने और प्रशासनिक एवं प्रचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्‍य से सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आबंटन के साथ सितम्‍बर, 2012 में आईसीडीएस स्‍कीम के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का अनुमोदन किया है ।

कमियों को पूरा करने और चुनौतियों का सामना करने वाली सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस की प्रमुख विशेषताओं में अन्‍य बातों के साथ-साथ (क) तीन वर्ष से कम आयु के बच्‍चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं पर विशेष ध्‍यान देना; (ख) देखरेख एवं पोषण परामर्श सेवाओं और अत्‍यधिक अल्‍पवज़नी बच्‍चों की देखरेख, स्‍नेह शिविरों के माध्‍यम से कुपोषित बच्‍चों का सामुदायिक उपचार सहित सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवं पुन: पैकेजिंग करना; (ग) देश में अत्‍यधिक कुपोषण वाले 200 चयनित जिलों में संपर्क कर्मी, 5% शिशुगृह-सह-आंगनवाड़ी केंद्र के प्रावधान के अलावा तीन वर्ष से कम आयु के बच्‍चों पर ध्‍यान देने और गर्भवती माताओं के पारिवारिक संपर्क, देखरेख एवं पोषण परामर्श में सुधार करने के लिए एक अतिरिक्‍त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री–सह-पोषण परामर्शदाता का प्रावधान करना; (घ) प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर ध्‍यान देना; (ड.) संस्‍थागत एवं कार्यक्रमागत अभिसरण विशेषकर जिला, ब्‍लॉक एवं ग्राम स्‍तर पर, विकसित करना (च) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्‍थानीय स्‍तर पर छूट प्रदान करने वाले मॉडल; (छ) वार्षिक कार्यक्रम, क्रियान्‍वयन योजना की शुरूआत करना; (ज) लागत में संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार करना; (झ) आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण एवं उनमें सुधार करने के लिए प्रावधान करना; (ञ) निगरानी और प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग सहित अन्‍य घटकों के लिए पर्याप्‍त वित्‍तीय संसाधन आबंटित करना; (ट) आईसीडीएस को मिशन मोड में लागू करना आदि; और (ठ) वित्‍तीय मानकों का संशोधन आदि शामिल हैं ।

आईसीडीएस मिशन का लक्ष्‍य तीन मुख्‍य परिणाम अर्थात (i) छोटे बच्‍चों में अल्‍पपोषण (0-3 वर्ष के अल्‍पवज़नी बच्‍चों का प्रतिशत) का निवारण और इसे 10% बिंदु तक कमी; (ii) 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्‍चों में प्रारंभिक विकास एवं अधिगम परिणामों में वृद्धि; और (iii) बालिकाओं एवं महिलाओं की देखरेख एवं पोषण में सुधार और छोटे बच्‍चों लड़कियों एवं महिलाओं में रक्‍ताल्‍पता की व्‍याप्‍तता में 20% तक कमी लाना है ।

इसके अलावा, मंत्रालय का खाद्य एवं पोषण बोर्ड अपने क्षेत्रीय क्षेत्र एककों के माध्‍यम से स्‍वस्‍थ संतुलित आहारों की महत्‍ता पर स्‍थानीय रूप से उपलब्‍ध खाद्यों के उपयोग, जन जागरुकता अभियानों और इलैक्‍ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के उपयोग के द्वारा पोषण शिक्षा कार्यक्रमों के माध्‍यम से जागरुकता विकसित करने के प्रति समर्थन के अलावा पोषण में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में संलग्‍न हैं ।

मंत्रालय कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए प्रत्‍यक्ष लक्षित उपायों के रूप में राजीव गांधी किशोरी सशक्‍तीकरण स्‍कीम (आरजीएसईएजी) सबला और इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) का भी क्रियान्‍वयन कर रहा है ।

हाल ही में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण से संबंधित सेवाओं में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ अगले चार वर्षों में 4 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण, आईसीडीएस का समुदायिकीकरण, राष्‍ट्रीय पोषण मिशन की स्‍थापना, खाद्य एवं पोषण बोर्ड के अधीन गुणवत्‍ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्‍थापना आदि शामिल हैं ।

**\*\*\*\*\***